संचिका संख्या–9/पी0–4– 75/2012–

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
उप सचिव–1 (प्रबंधन)

सेवा में,

सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

/पटना, दिनांक–

विषयः– श्री सुरेन्द्र कुमार यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता (असैनिक), लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–17177/2015 में दि0–05.02.2024 को पारित न्यायदेश एवं अवमाननावाद संख्या– 3342/2024 में दिनांक– 30.01.2026 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालनार्थ ब्याज भुगतान के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–876, दिनांक–09.02.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–236 सह–पठित ज्ञापांक–5400 दिनांक–21.09.2015 द्वारा अधिरोपित दंडादेश (05 प्रतिशत पेंशन की कटौती) के आलोक में विभागीय पत्रांक–1426 दिनांक–02.12.2015 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता को 90 प्रतिशत औपबंधिक पेंशन के बदले पूर्ण पेंशन (40 प्रतिशत रुपांतरण सहित एंव 05 प्रतिशत की पेंशन की कटौती के साथ) की स्वीकृति प्रदत्त है (छायाप्राति संलग्न)।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–17177/2015 में दि0–05.02. 2024 को पारित न्यायदेश एवं अवमाननावाद संख्या– 3342/2024 में दिनांक– 30.01.2026 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या– 59 –सह– पठित ज्ञापांक– 778 दिनांक–05.02.2026 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार यादव, सेवानिवृत सहायक अभियंता को लघु जल संसाधन विभाग के आदेश सं0–236 सह–पठित ज्ञापांक–5400 दिनांक– 21.09.2015 द्वारा संसूचित दंड (05 प्रतिशत की पेंशन की कटौती) को एल0पी0ए0 सं0–823/2024 के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त के साथ निरस्त किये जाने के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक–1426, दिनांक–02.12.2015 द्वारा पूर्व में स्वीकृत किये गये पेंशन को (एल0पी0ए0 सं0–823/2024 के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त के साथ) संशोधित करते हुए पूर्ण पेंशन की स्वीकृति प्रदत्त किया जा चुका है (छायाप्राति संलग्न)।

अतः वर्णित तथ्यो के आलोक में अनुरोध है कि वादी श्री यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता (असैनिक), लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–17177/2015 में दि0–05.02.2024 को पारित न्यायदेश एवं अवमाननावाद संख्या– 3342/2024 में दिनांक– 30.01.2026 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालनार्थ ब्याज के संदर्भ में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करते हुए भुगतान करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
(संजय कुमार)
उप सचिव–1 (प्रबंधन)

निबंधित

ज्ञापांक— पटना/दिनांक—

प्रतिलिपिः— कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, भागलपुर/श्री सुरेन्द्र कुमार यादव, सेवानिवृत सहायक अभियंता, अशोक नगर रोड नं0—1सी, पोस्ट+थाना—कंकड़बाग, जिला—पटना, पिन कोड—800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

उप सचिव—1 (प्रबंधन)

ज्ञापांक— 861 पटना/दिनांक— 18/02/2026

प्रतिलिपिः— कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Sanjay 18/02/26

उप सचिव—1 (प्रबंधन)